भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3058
दिनांक 07 अगस्त 2025

सीबीजी संयंत्रों की स्थापना

†3058. **श्री वी. वैथिलिंगमः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि व्यापक क्षेत्र में अन्वेषण से अधिक खोज होने, घरेलू तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि होने और आयात पर निर्भरता कम होने की अपेक्षा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का संपीड़ित जैव-गैस (सीबीजी) संयंत्र, जो गैस उत्पादन के लिए पशु और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करते हैं, स्थापित करके आपूर्ति को बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सरकार द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के नए संभावित स्रोतों की खोज करने हेतु अन्वेषण के वृहत क्षेत्रों में विभिन्न नीतियाँ तथा प्रौद्योगिकीय पहलें शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति (हेल्प) की शुरुआत की गई थी। अब तक हेल्प के तहत, खुला रकबा लाईसेंसिंग नीति (ओएएलपी) से संबंधित 09 बोली दौर पूरे कर लिए गए हैं। इन बोली दौर के तहत 380,603.23 वर्ग किलोमीटर (वर्ग मीटर) लंबे, कुल 172 ब्लॉक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्दा बोली के माध्यम से सफल बोलीदाताओं को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, दिनांक 15.04.2025 को ओएएलपी बोली दौर-X की शुरुआत की गई थी, जो 1,91,986.21 वर्ग किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाले 25 ब्लॉकों की पेशकश करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने नामांकन व्यवस्था के तहत अपने पेट्रोलियम खनन लीज क्षेत्रों के भीतर ब्लॉकों के लिए अन्वेषण क्षेत्रों का भी विस्तार किया है। इस संबंध में भारत सरकार की अन्य प्रमुख पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

ii. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मिथेन (सीबीएम) संविदाओं तथा नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा।

iii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग कि.मी. (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को वर्ष 2022 में प्रतिबंध से मुक्त करना जो दशकों से अन्वेषण के लिए बंद थे।

iv. सरकार भूमि पर (ऑनलैंड) और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा अधिग्रहण तथा स्ट्रैटीग्राफिक कूपों के वेधन के लिए भी लगभग 7500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि भारतीय तलछटी बेसिनों के

गुणवत्ता डेटा को बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के बाहर 20,000 एलकेएम ऑनलैंड और 30,000 एलकेएम अभितटीय 2डी भूकंपीय डेटा के अतिरिक्त अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

v. प्रसंस्करण और व्याख्या के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को अधिग्रहित करने हेतु एयरबोर्न ग्रेविटी ग्रैडिओमेट्री एवं ग्रेविटी मैग्नेटिक सर्वे, पैसिव सिस्मिक टोमोग्राफी (पीएसटी), लो-फ्रीक्वेंसी पैसिव सिस्मिक (एलएफपीएस) सर्वे जैसी नई प्रौद्योगिकियों को लागू किया गया है।

भारत सरकार के इन संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप, विगत तीन वर्षों के दौरान प्रचालकों द्वारा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को 34 खोज के नोटिस (एनओडी) प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने देश भर में संपीड़ित जैव-गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इनमें तेल और गैस विपणन कंपनियों (ओजीएमसीज) के साथ दीर्घकालिक करारों के माध्यम से सीबीजी के ऑफ-टेक हेतु सुनिश्चित मूल्य; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की वृहत योजना शामिल है; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के सीबीजी/जैवगैस संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना; स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना; उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव-खाद को किण्वित जैविक खाद तथा तरल किण्वित जैविक खाद के रूप में शामिल करना; उर्वरक विभाग द्वारा सीबीजी परियोजनाओं से उत्पादित जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केस-दर-केस आधार पर सीबीजी परियोजनाओं को 'श्वेत श्रेणी' में शामिल करना; आरबीआई द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण उत्पादों आदि को शामिल करना हैं।

इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी के समन्वय हेतु दिशानिर्देश, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में सीबीजी के इंजेक्शन हेतु पाइपलाइन अवसंरचना (डीपीआई) संबंधित विकास के लिए एक योजना, बिजनेस एग्रीगेशन मशीनरी (बीएएम) योजना की अधिप्राप्ति हेतु सीबीजी उत्पादकों का समर्थन करने की योजना तथा सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंड में सीबीजी के चरणबद्ध रूप में अनिवार्य मिश्रण जैसी संबंधित पहलें शुरू की हैं।

*****